Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सूचना के अधिकार की भ्रष्टाचार को रोकने मे भूमिका

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा*

* एसोशिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर और व्यापक समस्या रही है, जिसने समाज के सभी स्तरों पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक विकास को बाधित करता है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। इसे नियंत्रित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कानून और नीतियां बनाई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस शोध पत्र में, हम भारत में भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भूमिका का विश्लेषण करेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: एक परिचय

अधिनियम का इतिहास और पृष्ठभूमि – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी जड़ें 1990 के दशक में शुरू हुए जन आंदोलनों में पाई जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना था। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' द्वारा चलाए गए अभियान ने इस कानून की नींव रखी। इसके बाद 2005 में यह अधिनियम संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रभावी हुआ।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, भारतीय नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत, सरकारी विभागों को 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है। अधिनियम में अपवाद भी शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और अन्य संवेदनशील मुद्दों से संबंधित सूचनाएं।

सूचना आयोगों की भूमिका – अधिनियम के तहत, सूचना आयोगों की स्थापना की गई है, जिनमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग शामिल हैं। ये आयोग सूचना प्राप्त करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं और यदि कोई विभाग सूचना देने से इंकार करता है, तो इन आयोगों में अपील की जा सकती है।

भारत में भ्रष्टाचार: एक विश्लेषण

भ्रष्टाचार की परिभाषा और प्रकार – भ्रष्टाचार को आमतौर पर किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे रिश्वत, अनुचित तरीके से कार्यों में देरी, सरकारी ठेकों में गड़बड़ी और नीतियों में हेरफेर इत्यादि।

भ्रष्टाचार के कारण – भारत में भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें कमजोर शासन, पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक दबाव, और कानूनी ढांचे की कमजोरियाँ शामिल हैं। भ्रष्टाचार का स्तर राज्य और केंद्र सरकार दोनों में भिन्न-भिन्न होता है, और यह समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करता है।

भ्रष्टाचार के प्रभाव – भ्रष्टाचार के प्रभाव व्यापक होते हैं। यह न केवल आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, बल्कि समाज में असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार के कारण विकासशील योजनाएं विफल हो जाती हैं और जनता का प्रशासनिक तंत्र में विश्वास कमजोर हो जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम और भ्रष्टाचार का नियंत्रण

पारदर्शिता में वृद्धि – सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। इस अधिनियम के तहत नागरिक अब सरकारी दस्तावेजों, निर्णयों, और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे अधिकारियों पर दबाव बढ़ता है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त न हों। पारदर्शिता के इस स्तर ने भ्रष्टाचार की कई घटनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जवाबदेही का संवर्धन – सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई है। जब सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आती है, तो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय और कार्य सही और न्यायसंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिकारियों के गलत निर्णय लेने या अनुचित लाभ लेने की संभावना कम हो जाती है।

भ्रष्टाचार की घटनाओं का खुलासा – सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में डीटीसी बस खरीद घोटाला, महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला, और कई अन्य मामले जिनमें अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों को जनता के सामने लाया गया। इस प्रकार के खुलासे न केवल दोषियों को सजा दिलाने में मदद करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाते हैं।

नागरिकों की भागीदारी – सूचना के अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। जब नागरिक सरकारी सूचनाओं तक पहुँचते हैं, तो वे न केवल सरकारी गतिविधियों की निगरानी

कर सकते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार सुधारों की माँग भी कर सकते हैं। इससे एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ

अपवाद और सीमाएँ – हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम ने पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपवाद और सीमाएँ भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता, और संवेदनशील सूचनाओं से संबंधित जानकारी को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे कुछ मामलों में सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

अधिकारियों की मनमानी – कुछ मामलों में, सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को देने में आनाकानी करते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करते हैं। यह समस्या विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सूचना आयोगों की सीमाएँ – सूचना आयोगों के पास भी सीमित शक्तियाँ हैं, जिससे वे भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा, आयोगों के पास मामलों की अधिकता और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ भी होती हैं, जिससे उनके कामकाज में देरी होती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की सफलता की कहानियाँ

सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना – सूचना के अधिकार के माध्यम से भ्रष्टाचार के कई प्रमुख मामले उजागर हुए हैं। इनमें भारतीय सेना में राशन घोटाला, राजस्थान में नरेगा में अनियमितताएं, और झारखंड में अवैध खनन जैसे मामलों का उल्लेख किया जा सकता है। इन मामलों के उजागर होने से भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में एक सकारात्मक माहौल बना।

सरकारी योजनाओं की निगरानी – सूचना के अधिकार ने सरकारी योजनाओं की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि मध्य प्रदेश में पेंशन योजनाओं में हुई अनियमितताओं का खुलासा सूचना का अधिकार के माध्यम से हुआ, जिससे हजारों लोगों को उनके अधिकारों का लाभ मिल सका। इस प्रकार की निगरानी ने सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार – सूचना के अधिकार का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी किया गया है। कई स्थानों पर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, जिसके बाद आवश्यक सुधार किए गए। इससे समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर सेवाएँ मिलने में सहायता मिली।

सूचना का अधिकार अधिनियम और मीडिया

मीडिया का योगदान – मीडिया ने सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया ने सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक किया और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। इसके अलावा, मीडिया ने सूचना के अधिकार के महत्व और इसके उपयोग के बारे में जनता को जागरूक किया।

मीडिया और सामाजिक जागरूकता – सूचना के अधिकार के माध्यम से उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया ने व्यापक रूप से कवरेज दी, जिससे समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चला। इससे नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और सूचना के अधिकार का उपयोग बढ़ा।

भविष्य की दिशा और सुधार की संभावनाएँ

अधिनियम का सुधार और सशक्तिकरण – सूचना के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। अपवादों और सीमाओं को कम करना, सूचना आयोगों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना ऐसे सुधार हो सकते हैं, जो अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

जन जागरूकता और शिक्षा – सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए जन जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है। हालांकि इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद से ही इसका व्यापक उपयोग हुआ है, लेकिन अभी भी कई नागरिकों को इसके अधिकारों और उपयोग के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। सरकार, गैर-सरकारी संगठन, और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो सूचना के अधिकार के महत्व, इसके उपयोग की प्रक्रिया और इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग – सूचना के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल एप्लिकेशनों के माध्यम से सूचना का अनुरोध करना आसान बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, सूचना के अधिकार के माध्यम से दी जाने वाली सूचनाओं का डिजिटलीकरण और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

नागरिक समाज का योगदान – सूचना के अधिकार अधिनियम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिक समाज को एक सशक्त उपकरण प्रदान किया है। कई नागरिक समाज संगठनों ने सूचना के अधिकार का उपयोग कर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'परिवर्तन' नामक संगठन ने सूचना के अधिकार का उपयोग कर दिल्ली में बिजली और पानी के बिलों में अनियमितताओं को उजागर किया।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका – गैर-सरकारी संगठनों ने सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का संचालन किया है। इनमें मजदूर किसान शक्ति संगठन जैसे संगठन शामिल हैं, जिन्होंने राजस्थान में गैर-सरकारी संगठना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को उजागर किया। इस प्रकार के अभियानों ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे।

सूचना का अधिकार अधिनियम और कानूनी ढाँचा

अधिनियम का संवैधानिक आधार – सूचना के अधिकार अधिनियम का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 19(1) में निहित है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में माना है कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे सूचना के अधिकार को एक मजबूत कानूनी समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

न्यायिक निर्णयों का योगदान – भारतीय न्यायपालिका ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कई मामलों में सूचना के अधिकार के अधिकार को बनाए रखने और सरकारी अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, न्यायालयों ने सूचना के अधिकार के दायरे का विस्तार किया है, जिससे नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम की समग्र समीक्षा

सकारात्मक प्रभाव – सूचना के अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया है। सूचना के अधिकार के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे वे सरकारी नीतियों और योजनाओं की निगरानी कर सकते हैं।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ – हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। इसमें अपवादों की सीमाएँ सूचना आयोगों की शक्तियों का विस्तार और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा सूचना के अधिकार के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से भी इस अधिनियम की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और नागरिकों को सरकार की कार्यप्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। सूचना के अधिकार के माध्यम से कई भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया है। हालांकि, इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना के अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सूचना के अधिकार एक सशक्त हथियार साबित हुआ है और आगे भी यह भ्रष्टाचार के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. The Right to Information Act 2005: A Handbook - by P.K. Das
2. Corruption and Governance in India: Issues and Perspectives - by S- K- Das
3. The RTI Story: Power to the People - by Aruna Roy, MKSS Collective
4. Transparency and Accountability in Governance: Through the Lens of Right to Information - by Anuradha Joshi] Peter Spink
5. The Impact of the Right to Information Act on Bureaucratic Corruption Evidence from India - by Shahe Emran] Rohini Somanathan
6. RTI and Corruption Control in India: A Review - by Jagdeep S. Chhokar
7. Using the Right to Information Act as an Anti - Corruption Tool - by Shyamlal Yadav
8. The Right to Information Act and Its Impact on Governance in India: by Rakesh Ranjan
9. Annual Report of the Central Information Commission

****